**न्यायालय उपखण्ड कठूमर जिला अलवर**

मिसल नं० 2/194/2022 तारीख रजू.................

रमेश **बनाम** बिजेन्द्र वगैरा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.07.2022 | वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।, प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।<br>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 564,वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।<br>अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 28.07.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो. पत्रावली दिनांक 28.07.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर(अलवर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) | |
| 28/7/22 | प्रमुखाय [illegible] क्र०/P.C<br>[illegible]<br>पत्रावली दिनांक 22/9/22<br>को पेश हो। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 27/9/22 | वकुलाय उपस्थित अप्रार्थी संख्या-1 से 5 व 7,8 की ओर से श्री भगवन्त सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया। पत्रावली वास्ते शेष की तलबी नं. 6,9 दिनांक 6/10/22 को पेश हो। SDM |
| 6/10/22 | वकुलाय उपस्थित अप्रार्थी संख्या-6 की ओर से श्री रघुवीर सिंह चौहान एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जवाब को समय चाहा गया पत्रावली वास्ते जवाब शेष की तलबी दिनांक 13/10/22 को पेश हो। SDM |
| 13/10/22 | वकुलाय उपस्थित अप्रा० सं० -6 की ओर से इकबाल जवाब प्रा० पत्र पेश किया। [illegible] किया। पत्रावली वास्ते शेष की तलबी दिनांक 20/10/22 को पेश हो। SDM |
| 20/10/22 | वकुलाय उपस्थित पत्र प्राप्त नोटिस से अप्रार्थी सं 9 व 10 जरिये रजि० डाक उप० नहीं आये उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। ~~पत्रावली पर बहस~~ अप्रार्थी सं. 6 की ओर से इकबाल जवाब पेश किया पत्रावली पर बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 10/11/22 को पेश हो। SDM |
| 10/11/22 | वकुलाय उपस्थित। पत्रावली पर बहस वकुलाय सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 11/11/22 को पेश हो। SDM |
| 11/11/22 | वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के कारण स्वीकार किया जाता है पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 13/7/22 ता दावा फैसल होने तक कायम किया जाता है निर्णय पृथक से [illegible] किया गया पत्रावली फैसल [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया SDM |

प्रमाणित फोटो स्टेट प्रतिलिपि
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं
मजिस्ट्रेट कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2 / 194 / 2022

वउनवान

1. रमेशचन्द पुत्र ईशर जाति मीना निवासी सालवाडी
2. बाबूलाल पुत्र ईशर जाति मीना निवासी सालवाडी
3. मुरारी पुत्र ईशर जाति मीना निवासी सालवाडी
4. जितेन्द्र पुत्र सुआलाल जाति मीना निवासी सालवाडी
5. लक्ष्मी पुत्र सुआलाल जाति मीना निवासी सालवाडी
6. बत्तन पत्नी सुआलाल जाति मीना निवासी सालवाडी

तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायलान

बनाम

1. विजेन्द्र पुत्र उमराव जाति मीना निवासी सालवाडी
2. रामअवतार पुत्र उमराव जाति मीना निवासी सालवाडी
3. प्रकाश पुत्र उमराव जाति मीना निवासी सालवाडी
4. मुकट पुत्र उमराव जाति मीना निवासी सालवाडी
5. हरसहाय पुत्र छाज्या जाति मीना निवासी सालवाडी
6. रामपाल पुत्र बुद्दा जाति मीना निवासी सालवाडी
7. शिवराम पुत्र करण जाति मीना निवासी सालवाडी
8. विशराम पुत्र करण जाति मीना निवासी सालवाडी

तहसील कठूमर जिला अलवर

9. उप पंजीयक खेरली

----- गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

उपस्थित :—

श्री सुभाशचन्द "अरूंवा"—अधिवक्ता सायल की ओर से
श्री भागचन्द जैन— अधिवक्ता गैरसायल सं0 1ला0 5 व 7—8
श्री श्यामसिंह चौहार— अधिवक्ता गैरसायल सं0 6

## आदेश

दिनांक 11.11.2022

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराज़ी खसरा नम्बर 564 रकवा 1.53 हे. ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी पर सायलान एंव गैरसायलान शामलात में काविज रहकर काश्त कर रहे है। सायलानव गैरसायल सं0 9 का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा व शेष हिस्सा गैरसायल सं0 1 ला0 8 की भाामलात खातेदारी में दर्ज है। सायलान एंव गैरसायलान के मध्य आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायलान एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में का त करना संभव नहीं है। सायलान ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराज़ी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का राजी खुसी तकासमा नहीं करायेगें और तुम्हें विवादित आराजी पर तुम्हारे हिस्से पर शामलात में काश्त नही करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही हम उक्त आराजी में हमारे हिस्सा की आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलानने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1 ला0 5 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य गलत एंव मिथ्या दर्ज कराये है विवादित आराजी पर काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। सही तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त आराजी मौके पर अर्सा 50 सालों से घरेलु तौर पर उके बुजुर्गान के समय से बंटी हुई है जिस घरेलु बंटवारा के अनुसार पक्षकरान काश्त करते व उपयोग एंव उपभोग करते चले आ रहे है। घरू वंटवारा का मौका नक्शा जवाव के साथ पेश किया है। गैरसायल सं0 7 का स्वंय के हिस्सा में 15 साल पहले का रिहायसी मकान बना हुआ है गैरसायल सं0 8 के भी लेट्रिन बाथरूम बने है। तीन गह की पाटोड डली है शेष जमीन पर काश्त कर रहे है। गैरसायल सं0 8 विवादित आराजी मे निर्माण नहीं कर रहा है बलिक खसरा नम्बर 564/1319 मे निर्माण कर रहे है। उक्त आराजी पर मुताविक घरू वंटवारा 50 साल से अपने अपने हिस्से पर का त की जा रही है। वाद घरू वंटवारा गैरसायलान ने अपने हक हिस्सा में आई आराजी में अच्छे किस्म के खाद वीज डालकर व भारीरिक श्रम कर अधिक उपजाउ बना लिया है। अव सायलान के मन में वेईमानी आ गई है। एकपक्षिय स्टे जारी करा लिया है। इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र पोशणीय नहीं है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है।अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076से 2079 वाके ग्राम सालवाडी की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायलान के शामलात काश्त करने में बाधा पैदा करते है तथा अवट आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलानको अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि सायलान ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। विवादित आराजी अर्सा करीब 50 साल पूर्व यानि बुजुर्गान के समय की घरू रूप से वंटी हुई है तभी से सायलान एंव गैरसायलान अपने अपने हिस्सा में आराजी पर काश्त कर रहे है उपयोग एंव उपभोग कर रहे है। कुछ हिस्सेदारों ने अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आई आराजी में मकान वगैरा बना लिये है। गैरसायलान ने अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आई आराजी में अच्छे किस्म के खाद वीज डालकर व भारीरिक श्रम कर अधिक उपजाउ व कीमती बना लिया है। सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए जमाबन्दी हाल पेश की हैं। जिसके अवलोकन से विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है लेकिन गैरसायलान ने विवादित आराजी का घरू वंटवारा होना व मुताविक घरू वंटवारा उक्त आराजी पर काविज रहकर काश्त करना कथन किया है। विवादित आराजी का घरू वंटवारा हो गया हो व घरू वंटवारा के अनुसार अलग अलग काश्त की

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

जा रही हो इन तथ्यों की पुश्टि में गैरसायलान ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है इस वजह से विवादित आराजी शामलात खातेदारी व शामलात में पक्षकारान द्वारा काश्त किये जाने का अनुमान किया जाता है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायालान विवादित आराजी का विना कानूनी तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय कर सकते है। सायलान के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकते है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है।पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन करने पर सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहे है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 564 रकवा 1.53 हे.वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।पत्रावली पर जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.07.2022 को दावा के निर्णय तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 11.11.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर) राज.